मथुरा पुलिस

दिनांक 23.07.2025 **प्रेस नोट** **थाना – सुरीर**

थाना सुरीर पुलिस द्वारा दिनांक 18-19/07/2025 को ग्राम नगला मौजी में एक युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तगणों व दो बाल अपचारी को घटना में पहने कपड़े व एक अवैध तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर सहित किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सुरीर पुलिस द्वारा थाना सुरीर जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0171/2025 धारा 103(1) व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. पीतो उर्फ पीताम्बर पुत्र अमर सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 18 वर्ष, 2. अभियुक्त प्रताप पुत्र बहादुर निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं दो बाल अपचारी उम्र करीब 14 वर्ष व 13 वर्ष को भिन्न भिन्न स्थानों से पुलिस निगरानी मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर,एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर एवं घटना में पहने हुए कपडे बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त व दोनो बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना सुरीर से विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 18-19.07.2025 को एक अज्ञात शव नगला मौजी बम्बे के पास थाना सुरीर मथुरा क्षेत्रान्तगर्त मिला था जिसकी पहचान करायी गयी तो मृतक की पहचान गौरव पुत्र निरोत्तम सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर मथुरा के नाम से हुई थी। मृतक के पिता निरोत्तम के द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0171/2025 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट मे बनाम दीपक पुत्र डिब्बा निवासी सामौली थाना सुरीर मथुरा , ठाकुर मानवेन्द्र पुत्र बलदाऊ व ठाकुर अशोक पुत्र बाबू निवासीगण नगला फौदा थाना सुरीर मथुरा के विरूद्ध अपने पुत्र की हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त में उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन मे अभियुक्त की गिरफ्तारी

हेतु तलाश व विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी तो उपरोक्त मुकदमे की विवेचना के क्रम में दो अभि0गण व दो बाल अपचारी के नाम प्रकाश मे आये जिसमें अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर पुत्र अमर सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर मथुरा के द्वारा अपने दो सह बाल अपचारी के साथ मिलकर गौरव उपरोक्त की गोली मारकर तथा ईट मारकर हत्या कर दी थी तथा उसके सहअभियुक्त प्रताप उपरोक्त के द्वारा उपरोक्त घटना के साक्ष्य छिपाना व अपराधी को संशय देना का अपराध कारित किया गया है। दिनांक 23.07.2025 को मुखबिर द्वारा सुरीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरीर जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0171/2025 धारा 103(1) व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट की घटना करने वाले अभि0 1. पीतो उर्फ पीताम्बर पुत्र अमर सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 18 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कार0 .315 बोर व 01 मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर व घटना मे पहने कपडे बरामद हुए 2. प्रताप पुत्र बहादुर निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारी उम्र करीब 14 वर्ष व बाल अपचारी 13 वर्ष को पुलिस निगरानी मे लिया गया। अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त से पूछताछ में निम्न जानकारी हुई कि आज से करीब 01 वर्ष अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त छोटे भाई डिगम्बर ट्रैक्टर से गाव आ रहा था कि तभी रास्ते में मोड पर गौरव के घर की दीवार से ट्रेक्टर लग गया था जिसके बाद गौरव व गौरव के परिवार वालो ने अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त भाई को पीटा था जिसके बाद अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त छोटे भाई फांसी लगा कर अपनी जान दे दी थी। तभी से अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त व गौरव के परिवार वालो से दुश्मनी मानने लगा था तथा जिस दिन अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने गौरव को मारा था उसके 03-04 दिन पहले मै ट्रैक्टर लेकर गांव की तरफ आ रहा था तो गौरव अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त रास्ते में मिला था और अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त गाली देते हुये बोला था कि ट्रेक्टर आराम से चलाया कर वरना खेत सब बिकवा दुगाँ तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त बहुत गुस्सा आया तो इन दोनो के बीच आपस मे गाली गलौज हो गयी थी तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त उसी दिन गौरव को जान से मारने की योजना बना ली थी औऱ दि0 18.07.2025 को दोपहर के समय गौरव को अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने सुरीर मे ईट भरने के लिये नौहझील की तरफ जाते हुये देखा था तब अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने मन बनाया कि आज गौरव को मार दुँगा उसके बाद अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त घर आया औऱ खाना खाया औऱ अपने परिवार के दो नाबालिक जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है व पडोस मे रहने वाले नाबालिक जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है को गौरव को जान से मारने की बात बताकर ये तीनो एक मोटरसाइकिल लेकर शाम को अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त अपने घर से तमचा गोली लेकर

पानी लाने के बहाने से नगला मौजी वाले मोड पर लगे नल पर आये और गौरव का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद गौरव टेटीगांव से एक ट्रेक्टर ट्राली के पीछे से उतर कर गाव की तरफ जाने लगा तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने अपने सह बाल अपचारी से बोला की मोटरसाइकिल स्ट्राट कर गौरव को मारते है गाव जाने वाले रास्ते पर राममहेश की टब्यूल के पास गौरव को रोक लिया और रोकते ही अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने मोटरसाइकिल से उतकर गौरव पर अपने हाथ मे लिये तमंचे से फायर कर दिया लेकिन फायर गौरव के हाथ मे लगा औऱ गौरव पीछे मुड़ कर भागने लगा तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त को लगा की बच गया है तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने जल्दी से दुसरी गोली तमंचे मे डाली औऱ फायर किया लेकिन फायर नही हुआ तो अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त व उसके सह बाल अपचारी ने पण्डित जी की जामन के बाग मे भाग कर पकड कर गिरा लिया औऱ गौरव पर तमंचे की बट व ईट से मार दिया। अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त ने अपने चचरे भाई प्रताप के मोबाईल नम्बर पर काल किया और बताया कि मैने बदला ले लिया है, सिम्मो के लडके को मार दिया है अभियुक्त पीतो उर्फ पीताम्बर उपरोक्त के द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा व कपडे ले जाकर छिपा दिये थे।

नाम एवं पता गिरफ्तार अभियुक्त / बाल अपचारी –

1.अभि0 पीतो उर्फ पीताम्बर पुत्र अमर सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 18 वर्ष।

2.अभि0 प्रताप पुत्र बहादुर उर्फ रघुनाथ निवासी नगला मौजी थाना सुरीर मथुरा उम्र करीब 29 वर्ष।

3.दो बाल अपचारी उम्र करीब 14 वर्ष व बाल अपचारी 13 वर्ष ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण व बाल अपचारी की गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय :-

स्थान - अभि0 पीतो उर्फ पीताम्बर को टैटागाव मोड से करीब 50 कदम पहले थाना सुरीर मथुरा, दिनाक 23.07.2025 व समय करीब 01.40 बजे व अभि0 प्रताप उपरोक्त को नगला फौंदा बम्बा मोड थाना सुरीर मथुरा से, दिनांक 23.07.2025 व समय करीब 07.25 बजे ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभि0 पीतो उर्फ पीताम्बर पुत्र अमर सिंह निवासी नगला मौजी थाना सुरीर जनपद मथुरा ।

मु0अ0सं0171/2025 धारा 103(1),249,238 बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट ।

अभि0 प्रताप पुत्र बहादुर उर्फ रघुनाथ निवासी नगला मौजी थाना सुरीर मथुरा

1.मु0अ0स0 199/2018 धारा 147/323/324/336/427/504/506 भादवि थाना सुरीर मथुरा।

2.मु0अ0सं0 171/2025 धारा 103(1),249,238 बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट व 3/25/27 ए एक्ट थाना सुरीर मथुरा।

अभियुक्तण उपरोक्त से बरामदगी का विवरण:-

1.एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतदूस.315 बोर ।

2. घटना मे पहने हुए कपडे 3. एक बाईक सुपर स्पलेण्डर रजि0न0 UP 85 AE3718

अभियुक्तगण उपरोक्त व बाल अपचारियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम-

1.थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा थाना सुरीर मथुरा

2.उ0नि0 नितिन तेवतिया थाना सुरीर मथुरा

3.उ0नि0 गौरव चाहल थाना सुरीर मथुरा

4.उ0नि0 वीरेश कुमार थाना सुरीर मथुरा

5.उ0नि0 मनोज कुमार थाना सुरीर मथुरा

6.उ0नि0 मानकचन्द शर्मा थाना सुरीर मथुरा

7.है0का0 333 राज खाँ थाना सुरीर मथुरा मथुरा

8.है0का0 937 धनराज थाना सुरीर मथुरा

9.का0 1557 प्रदीप कुमार थाना सुरीर मथुरा

10.है0का0 1008 अवधेश कुमार थाना सुरीर मथुरा।